

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 80

दिनांक 10/01/2024

प्रार्थिनी :-

1. मंजुबाला पत्नि अर्जुनराम,
जाति मेघवाल
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. डूंगरसिंह पुत्र राणसिंह, जाति राजपूत
2. मूमल पत्नि धनाराम, जाति मेगवाल
निवासी प्रेमसिंह की ढाणी, तहसील चौहटन
3. सिणगारी पत्नि जवाराम, जाति मेगवाल
निवासी राणासर, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 181/2022

दिनांक : 10.01.2024

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र देदूसर के मौजा प्रेमसिंह की ढाणी के खेत खसरा सं. 543/384 रकबा 04.2087 हेक्टर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थिनी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 81 to 85

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थिनी मंजुबाला
3. विप्रार्थीगण डूंगरसिंह वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौहटन
चौहटन
दिनांक 10/01/2024



(सूरजभान विश्नोई)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड चौहटन
चौहटन